राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/रसद/6ए/2022/118 दिनांकः 15.11.2022

आदेश

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जब्त पृथक–पृथक प्रकरण अनुसार सामग्री को माननीय जिला कलक्टर न्यायालय चित्तौड़गढ़ के निर्णय के क्रम में खुली बोली द्वारा "जहां है जैसा है" के आधार पर नीलामी कमेठी द्वारा निम्नलिखित स्थान पर प्रातः 11.00 बजे विक्रय किया जाना है। इच्छुक खरीददार निर्धारित बयाना राशि नगद अथवा जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के नाम से डीडी नीलामी समय से पूर्व जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैः–

प्र.सं.	नाम वस्तु एवं मात्रा	न्यूनतम बोली	माल का अनुमानित मूल्य	बयाना राशि 2 प्रतिशत	निलामी तिथि व स्थान
रसद प्रकरण संख्या 013/2022 निर्णय–21.9.2022	16,400 लि. पेट्रोलियम पदार्थ/केमिकल 2 डिस्पेसिंग यूनिट	46 रू. प्र. लि.	754,400	15088	दि. 26-11-2022 पुलिस थाना गंगरार
रसद प्रकरण संख्या 006/2022 निर्णय–07.9.2022	20,000 लि. पेट्रोलियम पदार्थ/केमिकल 2 डिस्पेसिंग यूनिट	46 रू. प्रति लि.	920,000	18400	दि. 26-11-2022 पुलिस थाना गंगरार

1. नीलामी की शर्तें विभाग की वेबसाईट http://www.food.raj.nic.in तथा http://www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है एवं नीलामी की शर्तो कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय, चित्तौड़गढ़ में भी देखी जा सकती है।
2. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
3. नीलामी योग्य सामग्री का नमुना संबंधित पुलिस थाने में देखा जा सकता है।
4. पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा अन्य सामग्री की दर उपापन समिति द्वारा मौके पर निर्धारित की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी
चित्तौड़गढ़

क्रमांक/रसद/6ए/2022/ 548-55 दिनांकः 15.11.2022

प्रतिलिपि :– निम्नाकित हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सहायक श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़।
3. संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक कार्यालय हाजा।
4. जिला कलक्टर कार्यालय/ जिला रसद कार्यालय/तहसील कार्यालय गंगरार/पोलिस थाना गंगरार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नीलामी के समय निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेगें एवं नीलामी में रखा गया माल समिति को सुपुर्द करेगें।
6. प्रोग्रामर खाद्य एवं नागरिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर को खाद्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. आदेश पंजिका/विधि अनुभाग/वितरण शाखा।

जिला रसद अधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

नीलामी की अन्य शर्तें

1. नीलामी से पूर्व बोली दाता को निर्धारित धरोहर राशि जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के नाम से जारी ड्राफ्ट्/बैंक चैक/नगद जमा करवानी होगी।
2. बोली से पूर्व बोली दाता पेट्रोलियम पदार्थ का नीलामी स्थल पर निरीक्षण कर सकता है।
3. नीलामी के सन्दर्भ में अन्य किसी से जानकारी एवं अन्य शर्तो हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।
4. नीलामी की सूचना विभाग वेबसाईट http://www.food.raj.nic.in तथा http://www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती हैं।
5. बोलीदाता के पास विधि सम्मत अनुज्ञापत्र होना आवश्यक है।
6. राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा गठित कमेटी के समक्ष नीलामी की जावेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छुटने पर बोलीदाता को कुल कीमत का 1/4 भाग राशि मौके पर ही जमा करवानी होगी तथा 3/4 राशि बोली स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करवाकर माल सुपुर्दगी पर प्राप्त कना होगा। सुपुर्दगी पत्र जारी होने के बाद तत्काल माल अपने कब्जे में लेना होगा निर्धारित समय पर राशि जमा नही करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. सफल बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार के नियमानुसार समस्त कर (आयकर/जीएसटी/वेट) इत्यादि जो भी देय हो देना होगा।
9. पेट्रोलियम पदार्थ उठाने तक का समस्त खर्चा (जहां पदार्थ पडा है) सफल बोलीदाता को वहन करना होगा।
10. किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
11. पेट्रोलियम पदार्थ खरीद के पश्चात् बोलीदाता उक्त पदार्थ का विधि सम्मत प्रयोग करेगा एवं प्रयोग के पश्चात् end use Certificate जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत करना होगा।
12. न्याय क्षेत्र चित्तौड़गढ़।

जिला रसद अधिकारी
चित्तौड़गढ़